क्रम-संख्या–168

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 13 मई, 2026

बैशाख 23, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3

संख्या 268 / 2026 / 65-3099-632–2019

लखनऊ, 13 मई, 2026

अधिसूचना

सा0प0नि0–33

साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 सन् 2016) की धारा 101 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप पूर्वोक्त अधिनियम, सन् 2016 की धारा 101 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कक्ष संख्या 709, सप्तम तल, लोक भवन, लखनऊ को लिखित रूप में सम्बोधित करके प्रेषित किये जायेंगे।

केवल उन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 7 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ–एक में दिए गए विद्यमान नियम 7 के स्थान पर, स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्ः–

स्तम्भ–एक **(विद्यमान नियम)**	स्तम्भ–दो **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)**
	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हेतु या उसे प्रदान किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन
7–(1) कोई विकलांगजन संस्था स्थापित करने या अनुरक्षित करने का इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को इस नियमावली में संलग्न प्रारूप में आवेदन कर सकता है।	7–(1) कोई दिव्यांगजन संस्था स्थापित करने या अनुरक्षित करने का इच्छुक व्यक्ति, इस नियमावली के प्रपत्र क के अनुसार, नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन कर सकता है– (क) हितबद्ध व्यक्ति (संस्था का प्राधिकृत प्राधिकारी) विभागीय पोर्टल https://updivyangshaktingo-in/ पर जिला, जिसमें संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, का चयन कर रजिस्ट्रीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा; (ख) रजिस्ट्रीकरण हेतु फीस 1000 ⁄ – रुपये, या वह फीस होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए और उसे विभाग के सुसंगत शीर्षक में ऑनलाइन जमा किया जाएगा और चालान की एक प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड की जाएगी; (ग) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र की संवीक्षा के पश्चात, यदि रजिस्ट्रीकरण का आवेदन पूर्ण पाया जाता है, तो उसे 30 दिनों के भीतर निदेशालय को अग्रसारित कर दिया जाएगा।
(2) उपनियम (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगेः–	(2) उपनियम (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगेः–
(क) दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य का दस्तावेजी साक्ष्य,	(क) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने के प्रयोजन की पुष्टि सम्बंधी दस्तावेजी साक्ष्य,
(ख) संस्था को शासित करने वाला संविधान, उसकी उपविधियां या विनियम,	(ख) संस्था को शासित करने वाला संविधान, उसकी उपविधियां या विनियम,
(ग) आवेदन के दिनांक से पूर्व अंतिम तीन वर्षों में प्राप्त अनुदानों का सम्परीक्षित विवरण और ब्यौरे;	(ग) संस्था में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या से संबंधित विवरण और उनके कर्तव्य,
(घ) संस्था में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या से संबंधित विवरण और उनके कर्तव्य;	(घ) संस्था में नियोजित वृत्तिक व्यक्तियों की संख्या;
(ङ) संस्था में नियोजित वृत्तिक व्यक्तियों की संख्या;	(ङ) संस्था द्वारा नियोजित वृत्तिक व्यक्तियों की अर्हताओं से सम्बंधित विवरण, और

124 RPH -2026 (Divyangjan Avam Sasktikaran) data 1e

स्तम्भ—एक **(विद्यमान नियम)**	स्तम्भ—दो **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)**
(च) संस्था द्वारा नियोजित वृत्तिक व्यक्तियों की अर्हताओं से सम्बंधित विवरण; और (छ) आवेदक के निवास का प्रमाण-पत्र।	(च) आवेदक के निवास का प्रमाण-पत्र।
(3) उपनियम (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन सम्बंधित संस्था से सम्बंधित निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगाः—	(3) उपनियम (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन सम्बंधित संस्था से सम्बंधित निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगाः—
(क) यह कि संस्था आवेदन किये जाने के दिनांक से ठीक पूर्व अनधिक तीन वर्षों से दिव्यांगजन के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करती रही है,	(क) यह कि संस्था निम्नलिखित रूप से रजिस्ट्रीकृत है और आवेदन-पत्र के साथ ऐसे रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की एक प्रति तथा संस्था की उपविधियों और संगम-ज्ञापन की प्रति संलग्न होगीः (एक) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन, अथवा राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत, **अथवा** (दो) रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास (Public Trust), **अथवा** (तीन) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी, **अथवा** (चार) भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा, **अथवा** (पांच) सरकारी विश्वविद्यालय अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित निजी विश्वविद्यालय।
(ख) यह कि संस्था भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और आवेदन-पत्र के साथ ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा सोसाइटी की उपविधियों एवं संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न होगी;	(ख) यह कि संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की प्रसुविधा के लिए नहीं चलायी जाती रही है;
(ग) यह कि संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की प्रसुविधा के लिए नहीं चलायी जाती रही है।	(ग) यह कि संस्था में दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री हो;
(घ) यह कि संस्था ने दिव्यांग बालको की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद में रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक व्यक्तियों को नियोजित किया है, (ङ) यह कि संस्था में दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री हो, (च) यह कि संस्था ने अपने अंतिम तीन वर्षों की सम्परीक्षित लेखा और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है।	(घ) उपर्युक्त के अतिरिक्त, संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन-पत्र के लिए विहित प्रपत्र-क के संलग्नक में उल्लिखित दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपलोड किए जाएंगे।

स्तम्भ—एक **(विद्यमान नियम)**	स्तम्भ—दो **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)**
(4) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीकृत किये जाने के दिनांक को या से पांच वर्ष की अवधि के लिए तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक उसे अधिनियम की धारा 52 के अधीन प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता है।	(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र 'ग' के प्रारूप में जारी किया जाएगा।
(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन-पत्र उसी रीति में प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि उपनियम (1) के अधीन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन-पत्र के साथ पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा ऐसा विवरण कि आवेदक प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, संलग्न कर प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु ऐसा आवेदन-पत्र ऐसे प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त होने के साठ दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा, परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी 60 दिन के पश्चात् किन्तु 120 दिन के अपश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नवीकरण हेतु आवेदन-पत्र पर विचार कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है, ऐसे विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण दिये गये हैं।	(5) इस नियमावली के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इसे प्रदान या नवीकृत किये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि इसे अधिनियम की धारा 52 के अधीन प्रतिसंहृत न कर दिया जाए।
(6) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नवीकरण हेतु आवेदन-पत्र उपनियम (5) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट रूप में उसकी समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक आवेदन-पत्र पर आदेश पारित नहीं किये जाते हैं और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को समाप्त हुआ समझा जायेगा यदि उसके नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र उक्त परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट रूप में साठ दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।	(6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् संस्था अपने कार्य—कलापों के संबंध में एक प्रगति रिपोर्ट, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के माध्यम से, वर्ष में दो बार एवं प्रत्येक छह माह के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।
(7) उपनियम (1) या उपनियम (5) के अधीन किये गये ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र का निस्तारण सक्षम प्राधिकरण द्वारा तत्पश्चात नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जायेगा जिससे अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकरण का यह समाधान हो जाय कि अधिनियम और इस नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृति की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।	(7) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन-पत्र उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु यथाविहित रीति से इस नियमावली के प्रपत्र ख में दिए गए आवेदन प्रपत्र का उपयोग करके प्रस्तुत किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के साथ प्रपत्र ग में जारी और प्रपत्र ख के संलग्नक के साथ विभाग के सुसंगत लेखा में नवीकरण फीस रु0 500/— अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाने वाली किसी अन्य फीस को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। चालान की एक प्रति और प्रपत्र ख में अपेक्षित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड किये जायेंगे:

124 RPH -2026 (Divyangjan Avam Sasktikaran) data 1e

स्तम्भ—एक **(विद्यमान नियम)**	स्तम्भ—दो **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)**
	परन्तु यह कि ऐसा आवेदन-पत्र, ऐसे प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त होने से कम से कम साठ दिन पूर्व ऑनलाइन जमा किया जाएगाः परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के 60 दिन पूर्व किन्तु उसके पश्चात् प्रस्तुत किये गये नवीकरण हेतु आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसे विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता अवधि समाप्त होने तक, आवेदन ₹100/—प्रति माह के विलंब फीस के साथ जमा किया जा सकता हैः परन्तु यह भी कि सक्षम प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के पश्चात् किन्तु अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर जमा किए गए नवीकरण आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसे विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के पश्चात, आवेदन ₹200/— प्रति माह के विलंब फीस के साथ जमा किया जा सकता है। (8) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के एक वर्ष पश्चात, नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। (9) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र—घ में जारी किया जाएगा। (10) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन, उपनियम (7) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट रूप में, उसके समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसे आवेदन पर आदेश पारित किये जाने तक प्रवृत्त रहेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र समाप्त हुआ समझा जाएगा, यदि उसके नवीकरण के लिए आवेदन उक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

स्तम्भ—एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ—दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
	(11) उपनियम (1) या उपनियम (10) के अधीन किये गये ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र, जिसमें अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि अधिनियम और इस नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृति की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, का निस्तारण तत्पश्चात् इसके नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जायेगा।

नियम 8 में संशोधन

3—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—एक में दिए गए विद्यमान नियम 8 के स्थान पर, स्तम्भ—दो दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:—

स्तम्भ—एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ—दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
सक्षम प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील—	**सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील—**
8—रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने से इंकार करने वाले या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रतिसंहृत करने वाले धारा 51 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीन माह के भीतर धारा 53 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकरण को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है और अपील प्राधिकरण तत्सम्बंध में ऐसी जाँच जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।	8—रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने से इंकार करने वाले या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रतिसंहृत करने वाले अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीन माह के भीतर अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है और अपील प्राधिकरण तत्सम्बंध में ऐसी जाँच जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे; और ऐसी अपील पर अपील प्राधिकारी का विनिश्चय, अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन, अंतिम होगा।

प्रपत्र में संशोधन

4—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—एक में दिए गए विद्यमान प्रपत्र के स्थान पर, स्तम्भ—दो में दिए गए प्रपत्र रख दिए जाएंगे, अर्थात:—

स्तम्भ—एक (विद्यमान प्रपत्र)	स्तम्भ—दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)
प्रपत्र	प्रपत्र—क
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन	**(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र)**
[नियम 7(1) देखें]	(उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण दिशा—निर्देश देखें)
(1) आवेदक का नाम और उसका पता............	सोसाइटी / ट्रस्ट / कम्पनी / विश्वविद्यालय के उस पदाधिकारी / (पदाधिकारियों) का / के स्वप्रमाणित फोटोग्राफ जो उक्त सोसाइटी / ट्रस्ट / कम्पनी का बैंक खाते का संचालन करता हो।
(2) संस्था जिसके सम्बंध में आवेदन किया जायः	
(क) नाम..	
(ख) पता (कार्यालय / परियोजना)......................	
(ग) फोन / फैक्स / टेलेक्स / (कार्यालय)	

स्तम्भ—एक

(विद्यमान प्रपत्र)

(परियोजना)

(3)(एक) अधिनियम का नाम जिसके अधीन संस्था पहले से रजिस्ट्रीकृत है.................................

(दो) रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकृत का दिनांक...

(कृपया छायाप्रति संलग्न करें)

(4) संस्था का संगम ज्ञापन और उपविधियां

....

(कृपया छायाप्रति संलग्न करें)

(5) संस्था के प्रबंधन बोर्ड/शासी निकाय के सदस्यों का नाम, पता, व्यवसाय और अन्य विशिष्टयां...

(6) संस्था की वर्तमान क्रिया कलाप.............

....

(7) संस्था की वर्तमान सदस्यता संख्या और श्रेणीकरण। संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः

(क) गत वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति;

(ख) अंतिम दो वर्षों हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित संपरीक्षित लेखा विवरण;

(एक) रसीद और भुगतान खाता (अंतिम दो वर्ष के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा):

(दो) आय और व्ययक खाता;

(अंतिम दो वर्ष के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा)

(तीन) अंतिम दो वर्षों के लिए तुलन-पत्र; (अंतिम दो वर्ष के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा)

(ग) संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारिवर्ग का विवरण;

(घ) संस्था के .... द्वारा आच्छादित किये जाने वाले लाभार्थियों का विवरण;

(ङ) यदि छात्रावास अनुरक्षित किया गया है तो छात्रावास करने वालों की संख्या;

(च) अन्य निबंधन, यदि कोई हों;

स्तम्भ—दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)

संख्या—

जिला—

संगठन किस प्रकार की दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करता है/या कार्य करने के लिए आशयित है..

1—संगठन का नाम..

2—संगठन के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता ....

दूरभाष/मोबाइल संख्या................................

ई—मेल..

3—शाखा/इकाई का पूरा पता जहाँ वास्तविक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

4—कृपया एक का चयन करें:

(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1880 (अधिनियम संख्या 21, सन 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक संस्था है.........................

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक लोक न्यास है...........................

(ग) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है...................................

(घ) भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी या इसकी शाखा है...

(ङ) सरकारी विश्वविद्यालय अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित निजी विश्वविद्यालय...................

(च) सरकार द्वारा योजना के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त कोई अन्य संगठन (रजिस्ट्रीकरण का विवरण, उस अधिनियम का नाम, जिसके अधीन इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया हो) ....

5—संस्था/सोसाइटी की स्थापना का दिनांक

....

6—सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी रजिस्ट्रीकरण संख्या .... दिनांक ....

6.2 (रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति अपलोड की जाए)

7— दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्था की प्रकृति (दृष्टिबाधित, मूक बधिर, शारीरिक रूप से दिव्यांग या मानसिक रूप से दुर्बल आदि व्यक्तियों के लिए कोई शैक्षणिक संस्था या प्रशिक्षण या कार्यशाला) है ....

8— क्या यह अखिल भारतीय संगठन है? यदि हाँ, तो इसके अखिल भारतीय क्रियाकलाप की प्रकृति लिखें ....

9— रु0 1000/— (रुपये एक हजार मात्र) की राशि का कोषागार में आन—लाइन जमा शुल्क, की ई—चालान संख्या......................... दिनांक.......................................

स्तम्भ—एक

(विद्यमान प्रपत्र)

(छ) क्या संस्था अपने स्वयं के/ भाड़े पर लिये गये भवन पर अवस्थित है? (आवश्यक साक्ष्य संलग्न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर

नामः ....

पदनामः ....

पताः ....

दिनांकः ....

कार्यालय की मुहर

स्तम्भ—दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में दी गयी सभी सूचनाएं/विवरण सत्य हैं और ये मूल दस्तावेज पर आधारित है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रतिसंहृत करते हुए आवेदक के विरूद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

संलग्नकः यथापेक्षित

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नामः ....

पदनामः ....

रजिस्ट्रीकरण हेतु आनलाइन आवेदन-पत्र के लिए संलग्नक

क्र0 सं0	संलग्नक अभिलेख
1	संलग्न दस्तावेजो के रजिस्ट्रीकरण हेतु विहित रू0 1000/— की फीस, नियत मद में ऑनलाइन जमा की जाएगी और ई-चालान आवेदन-पत्र के साथ अपलोड किया जायेगा।
2	संगठन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, ज्ञापन, नियम एवं विनियम तथा प्रबन्धकारिणी की सोसाइटी रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रीकरण हेतु अन्य प्राधिकृत कार्यालय द्वारा सत्यापित प्रति संगठन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित की जाएगी और ऑनलाइन अपलोड की जायेंगी
3	संगठन के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रु0-10/— के स्टाम्प पर अनुलग्नक—1 में विहित प्रारुप पर घोषणा-पत्र।
4	संगठन का प्राधिकृत व्यक्ति दिव्यांगजन के पुनर्वास से संबंधित क्रियाकलापों के सम्बंध में कार्य— योजना तैयार करेगा और उसे आवेदन-पत्र के साथ ऑनलाइन अपलोड करे ा।
5	संगठन के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संगठन के संचालन हेतु वित्तीय संसाधन से सम्बंधित प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा।
6	संगठन के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के भवन (निजी/किराया) से सम्बंधित अभिलेख आवेदन-पत्र के साथ ऑनलाइन अपलोड किये जाय ंगे।
7	संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की आई0डी0/पते से सम्बधित अभिलेख आवेदन-पत्र के साथ ऑनलाइन अपलोड किये जायेंगे।
8	संगठन में नियोजित वृत्तिक व्यक्तियों की कुल संख्या एवं उनका अर्हता सहित विवरण।

स्तम्भ—एक **(विद्यमान प्रपत्र)**	स्तम्भ—दो **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)**
	प्रपत्र—ख

प्रपत्र—ख

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु आनलाइन आवेदन-पत्र

(उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय (5) के अधीन नवीकरण दिशा—निर्देश देखें)

संख्या—

जिला—

संगठन विभाग में रजिस्ट्रीकरण के पश्चात किस प्रकार की दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है—

ई—मेल—

1—(क) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम—..........................

(ख) पिता/पति/अभिभावक का नाम—..

(ग) निवासी (पता)...

(घ) संस्था का नाम..

(ङ) संस्था के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूर्ण पता...

(च) दूरभाष/मोबाइल संख्या.............................

(छ) सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी रजिस्ट्रीकरण संख्या .... दिनांक ....

(ज) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या............ दिनांक...................

(झ) मैं उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय (5) के अधीन स्वीकृत प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूँ जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जारी किया गया था। यह प्रमाण-पत्र दिनांक .... तक विधिमान्य है/था।

2— रु0 500/— की राशि का कोषागार में आनलाइन जमा फीस, की ई—चालान संख्या .... दिनांक .... (विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात आवेदन-पत्र की स्थिति में उक्त आवेदन फीस के अतिरिक्त विहित विलम्ब फीस जमा किया जायेगा)

एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि संस्था उपविधियों में उल्लिखित सभी शर्तों और विनियमों का पालन करेगी और यदि उपर्युक्त में से कोई भी तथ्य किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाते हैं तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

दिनांकः

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम...

पदनाम...

स्तम्भ—एक **(विद्यमान प्रपत्र)**	स्तम्भ—दो **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)**

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु आनलाइन आवेदन-पत्र के लिए संलग्नक

क्र0 सं0	संलग्नक अभिलेख
1	नवीकरण हेतु विहित रु0 500/— फीस विहित शीर्षक के अधीन आनलाइन जमा की जायेगी और ई-चालान आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। यदि आवेदन-पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तो विहित आवेदन फीस के अतिरिक्त विलम्ब फीस जमा करने के पश्चात् ई-चालान अपलोड किया जायेगा।
2	संगठन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, ज्ञापन, नियम एवं विनियम तथा प्रबन्धकारिणी की सोसाइटी रजिस्ट्रार अथवा अन्य रजिस्ट्रीकरण हेतु अन्य प्राधिकृत कार्यालय द्वारा सत्यापित प्रति संगठन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित की जायेगी और आनलाइन अपलोड की जायेंगी।
3	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा निर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्य प्रति संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित कर अपलोड की जायेगी।
4	आवेदन के दिनांक से पूर्व अन्तिम तीन वर्षों में प्राप्त अनुदानों/चंदा के प्राप्त आय-व्यय सहित रिपोर्ट चार्टर्ड एकाउन्टेंट की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, आय, व्यय व रिसीप्ट पेमेन्ट शीट चार्टर्ड एकाउन्टेंट तथा संगठन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित करने के पश्चात् अपलोड की जायेगी।

स्तम्भ—एक स्तम्भ—दो

(विद्यमान प्रपत्र)

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)

क्र0 सं0	संलग्नक अभिलेख
5	दिव्यांगजन के पुनर्वास क्रियाकलापों हेतु संस्था में नियोजित वृत्तिक व्यक्तियों का विवरण संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित कर अपलोड की जायेगी।
6	विगत तीन वर्षों में दिव्यांगजन के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य से संबंधित क्रियाकलापों की प्रगति रिपोर्ट संगठन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित कर अपलोड की जायेगी।
7	संगठन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रु0 10/– के स्टाम्प पर अनुलग्नक–1 में विहित प्रारुप में घोषणा-पत्र।

प्रपत्र–ग

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश

[उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय (5) के अधीन अनुमोदित]

प्रमाण-पत्र संख्या....................

दिनांक..............

प्रमाणित किया जाता है कि.................................... .... (संगठन का नाम), जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860/कम्पनी अधिनियम 2013/ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या............. दिनांक................. द्वारा रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास है या भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की एक शाखा है या सरकारी/सरकार द्वारा अधिसूचित निजी विश्वविद्यालय है, जो इस नियमावली में यथा उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करती है। एतद्द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा और इस नियमावली द्वारा भी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उपर्युक्त संस्था को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण-पत्र दिनांक .... तक विधिमान्य रहेगा।

स्तम्भ—एक

(विद्यमान प्रपत्र)

स्तम्भ—दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)

1—संगठन के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा नाम व पता ....

2—संगठन की शाखायें/इकाइयों का पूरा नाम व पता ....

3—संगठन के सचिव/प्रबन्धक का पूरा नाम व पता ....

यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक ....को हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

सक्षम प्राधिकारी,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र—घ

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश

[उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय (5) के अधीन अनुमोदित]

प्रमाण—पत्र संख्या ....
दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि................................ (संस्था का नाम) .... (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता) .... का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या .... दिनांक.................... द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में रजिस्ट्रीकृत थी। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता दिनांक .... को समाप्त होने वाली है।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण.पत्र का नवीकरण अग्रेतर पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जा रहा है और वह दिनांक .... तक विधिमान्य रहेगा।

यह नवीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक.................. को हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

सक्षम प्राधिकारी,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्तम्भ—एक (विद्यमान प्रपत्र)	स्तम्भ—दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)
	अनुलग्नक—1 **घोषणा—पत्र** प्रमाणित किया जाता है कि .... (संगठन का नाम) को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और न उसका कोई पदाधिकारी, अध्यक्ष या सचिव या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चाहे उसे जिस भी नाम से पदाभिहित किया जाय) या कोषाध्यक्ष पूर्व में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाली गयी किसी संगठन का पदाधिकारी रहा है/रहा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संगठन में या संगठन के पदाधिकारियों/प्रबन्धक के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है। अध्यक्ष के हस्ताक्षर सचिव के हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर दिनांकः संस्था की मुहर :

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 268/2026/LXV-3099/632–2019, dated May 13, 2026:

No. 268/2026/LXV-3099/632–2019

Dated Lucknow May 13, 2026

THE following draft rules, which the Governor proposes to make, in exercise of the powers under section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act no. 49 of 2016) *read* with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) is hereby published with a view to invite objections or suggestions thereon as required under sub-section (1) of Section 101 of the aforesaid Act of 2016;

Objections or suggestions, if any, shall be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Divyangjan Sashaktikaran Vibhag, Room no. 709, 7th floor, Lok Bhawan, Lucknow;

Only such objections or suggestions shall be taken into consideration as are received within 15 days from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*.

DRAFT RULES

THE UTTAR PRADESH RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (THIRD AMENDMENT) RULES, 2026

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities (Third Amendment) Rules, 2026. Short title and commencement

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official *Gazette*.

Amendment of Rule 7

2. In the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, hereinafter referred to as the "said rules", *for* the existing Rule 7 set out in Column-I below, the Rule as set out in Column-II be *substituted*, namely:–

COLUMN-I *(Existing rule)*	COLUMN-II *(Rule as hereby substituted)*
Application for, and grant of certificate of registration	**Online application for, and grant of, certificate of registration**
7.(1) A person desirous of establishing or maintaining an institution for persons disabilities may make an application in the Form appended to these rules to the competent authority referred to in Section 51 of the Act.	7.(1) A person desirous of establishing or maintaining an institution for persons with disabilities may apply to the competent authority using the online application form, as given in Form-A of these rules, following the procedure given below:- (a) the interested person (authorized authority of the institution) shall apply online for registration on the departmental portal https://updivyangshaktingo.in/ by selecting the district in which the registered office of the institution is located; (b) the fee for registration shall be Rs. 1000/- or the fee fixed by the State Government from time to time and the same shall be deposited online in the relevant head of the department and a copy of the challan shall be uploaded along with the application; (c) after scrutiny of the application by the District Disability Empowerment Officer, if the application for registration is found complete, it shall be forwarded to the Directorate within 30 days.
(2) Every application made under sub-rule (1) shall be accompanied with:-	(2) Every application made under sub-rule (1) shall be accompanied with:-
(a) documentary evidence of work in the area of disability;	(a) documentary evidence confirming the purpose of working in the field of disability;
(b) the Constitution or bye laws or regulations governing the institution;	(b) the Constitution or bye-laws or regulations governing the institution;
(c) audited statement and details of grants received in the last three years, preceding the date of application;	(c) a statement regarding total number of persons employed in the institution along with their respective duties;
(d) a statement regarding total number of persons employed in the institution along with their respective duties;	(d) the number of professionals employed in the institution;
(e) the number of professionals employed in the institution;	(e) a statement regarding qualifications of the professionals employed by the institution; and
(f) a statement regarding qualifications of the professionals employed by the institution; and	(f) proof of residence of the applicant.
(g) the proof of residence of the applicant.	

124 RPH -2026 (Divyangjan Avam Sasktikaran) data 1e

COLUMN-I *(Existing rule)*	COLUMN-II *(Rule as hereby substituted)*
(3) Every application made under sub-rule (1) shall comply with the following requirements in respect of the concerned institution,-	(3) Every application made under sub-rule (1) shall comply with the following requirements in respect of the concerned institution,-
(a) that the institution had been working in the field of rehabilitation of persons with disabilities for not less than three years immediately before the date on which the application is made;	(a) that the institution is registered as follows and the application shall be accompanied by a copy of the certificate of such registration and the bye-laws and memorandum of association of the institution,- (i) registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860) or under any other law for the time being in force in the State; *or* (ii) registered Public Trust; *or* (iii) company registered under the Companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013); *or* (iv) branch of the Indian Red Cross Society; *or* (v) Government University or a Private University notified by the Government;
(b) that the institution is registered under the Indian Societies Registration Act, 1860 (Act no. XXI of 1860) or under any other law for the time being in force in the State and a copy of such registration certificate along with the byelaws and memorandum of association of the society shall accompany the application;	(b) that the institution has not been running to profit any individual or a body of individuals;
(c) that the institution has not been running to profit any individual or a body of individuals;	(c) that the institution has adequate teaching and learning material for the persons with disabilities; and
(d) that the institution has employed professionals registered with the Rehabilitation Council of India to cater to the special needs of children with disabilities;	(d) apart from the above, the documents mentioned in the Enclosure to Form-A prescribed for application for registration by the institution will be uploaded online along with the application.
(e) that the institution has adequate teaching and learning material for the persons with disabilities; and	
(f) that the institution has submitted its audited accounts and annual reports of last three years with the competent authority.	

124 RPH -2026 (Divyangjan Avam Sasktikaran) data 1e

COLUMN-I *(Existing rule)*	COLUMN-II *(Rule as hereby substituted)*
(4) The certificate of registration under this Rule, unless revoked under section 52 of the Act, shall remain in force for a period of five years on and from the date on which it is granted or renewed.	(4) The certificate of registration shall be issued in the format prescribed in Form-C.
(5) An application for the renewal of certificate of registration shall, be made in the same manner as the application for grant of certificate under sub-rule (1) accompanied with the previous certificate of registration and a statement that the applicant is applying for renewal of the certificate so accompanied: Provided that such application shall be made before sixty days of the expiry of the validity of such certificate; Provided further that the competent authority may consider application for renewal of the certificate of registration after 60 days but not later than 120 days, if he is satisfied that sufficient reasons have been provided for such delay.	(5) The certificate of registration issued under this Rule shall remain in force for a period of five years from the date on which it is granted or renewed, unless it is revoked under section 52 of the Act.
(6) If the application for renewal of certificate of registration is made before its expiry as specified in the proviso to sub-rule (5), the certificate of registration shall continue to be in force until orders are passed on the application and the certificate of registration shall be deemed to have expired if application for its renewal is not made within sixty days as specified in the said proviso.	(6) After being registered by the competent authority, the institution shall send a progress report regarding its activities to the competent authority through the District Disability Empowerment Officer twice a year and after every six months.
(7) Every application made under sub-rule (1) or sub-rule (5), in which the competent authority referred to in sub-section (1) of Section 51 of the Act, is satisfied that the requirements for grant of certificate of registration under the Act and these rules have been complied with, shall be disposed of by it within a period of ninety days thereafter.	(7) An application for renewal of the certificate of registration shall be submitted in the same manner as prescribed for the grant of a certificate of registration under sub-rule (1), using the application form as given in Form-B of these rules. The application form for renewal of certificate of registration, along with the previous certificate of registration (issued in Form-C) and the Enclosure to Form-B, shall be submitted online after depositing a renewal fee of ₹500/- or such fee as may be prescribed by the Government from time to time, in the relevant account of the department. A copy of the challan and the details required in Form-B shall be uploaded online:

124 RPH -2026 (Divyangjan Avam Sasktikaran) data 1e

COLUMN-I (Existing rule)	COLUMN-II (Rule as hereby substituted)
	Provided that such application shall be submitted at least sixty days before the expiry of the validity of such certificate: Provided further that the competent authority may consider an application for renewal of the certificate of registration submitted after 60 days but before the expiry of the validity period of the certificate of registration, if it is satisfied that sufficient reasons have been given for such delay. In such a case, the application may be submitted with a late fee of 100/- per month until the expiry of the validity period of the registration certificate: Provided also that the competent authority may consider an application for renewal submitted after the expiry of the validity period of the certificate of registration but within a maximum period of one year, if it is satisfied that sufficient reasons has been given for such delay. In such a case, the application may be submitted with a late fee of Rs. 200/- per month after the expiry of the validity period of the registration certificate. (8) An application for renewal will not be considered after one year from the expiry of the validity period of the certificate of registration. (9) The certificate of renewal of registration shall be issued by the competent authority in Form-D. (10) If an application for renewal of certificate of registration is made before its expiry as specified in the proviso to sub-rule (7), the certificate of registration shall remain in force until orders are passed on such application, and the certificate of registration shall be deemed to have expired if an application for its renewal is not presented within the period specified in the said proviso. (11) Every application made under sub-rule (1) or sub-rule (10), in which the competent authority referred to in sub-section (1) of Section 51 of the Act is satisfied that the requirements for grant of certificate of registration under the Act and these rules have been complied with, shall be disposed of by it within a period of ninety days thereafter.

Amendment of Rule 8

3. In the said rules, *for* the existing Rule 8 set out in Column-I below, the Rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I

(Existing rule)

Appeal against the order of Competent authority

8.Any person aggrieved by the order of the competent authority referred to in sub-section (1) of Section 51, refusing to grant a certificate of registration or revoking a certificate of registration may, within three months from the date of the order, prefer an appeal against that order to the appellate authority referred to in sub-section (1) of Section 53 and the appellate authority may, after such enquiry into the matter as it considers necessary and after giving the appellant an opportunity of being heard, make such order as it thinks fit.

COLUMN-II

(Rule as hereby substituted)

Appeal against the order of Competent authority

8. Any person aggrieved by an order of the competent authority specified in sub-section (1) of Section 51 of the Act refusing to grant a certificate of registration or revoking a certificate of registration may, within three months from the date of the order, prefer an appeal against such order to the appellate authority specified in sub-section (1) of Section 53 of the Act and the appellate authority may, after such inquiry as it may deem necessary and after giving the appellant an opportunity of being heard, make such order as it deems fit and the decision of the appellate authority on such appeal shall, subject to the provisions of sub-section (2) of Section 53 of the Act, be final.

Amendment of Form

4. In the said rules, *for* the existing Form set out in Column-I below, the Forms as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I

(Existing Form)

FORM

Application for a Certificate of Registration

[*See* rule 7(1)]

(1) Name of application and his address:...

(2) Institution in respect of which application is made:

(a) Name:..................................

(b) Address (Office/Project):.............

(c) Phone/Fax/Telex/(Office):...........

(3) (i) Name of the Act under which the institution is already registered:..........

(ii) Registration No. and date of registration:....................................

(Please attach a photocopy)

(4) Memorandum of Association and Bye-laws of the institution:

(Please attach a photocopy)

COLUMN-II

(Forms as hereby substituted)

Format No. A

(Online Application Form for Registration)

[*See* Registration Guidelines under Chapter (5) of the Uttar Pradesh Disability Rights Rules, 2017]

Self-attested photograph of the officer(s) of the Society/Trust/ Company/ University who operates the bank account of the said Society/Trust/Company.

Number-

District-

What type of disability does the organization work in or intend to work in?

1.Name of the organization............

2. Complete address of the registered office of the organization......

Telephone/Mobile Number...........

Email.......

124 RPH -2026 (Divyangjan Avam Sasktikaran) data 1e

COLUMN-I

(Existing Form)

(5) Name, address, occupation and other particulars of the members of the Board of Management/Governing Body of the institution:

(6) Present Activities of the institution: ....

(7) Present membership strength and categorization of the institution. List of documents to be attached,–

(a) A copy of the annual report for the previous year.

(b) Audited Statement of account duly certified by Chartered Accountant for the last two years,–

(i) Receipt and Payment Account (by Chartered Accountant for the last two years)

(ii) Income and Expenditure Account (by Chartered Accountant for the last two years)

(iii) Balance sheet for the last two years (by Chartered Accountant for the last two years)

(c) Details of staff employed by the institution.

(d) Details of beneficiaries to be covered by the............. of the institution.

(e) If hostel is maintained, then number of hostellers.

(f) Other terms, if any.

(g) Whether the institution is located on its own/Rented building (Necessary evidence to be attached).

Signature of the Applicant

Name:

Designation:

Address:

Date:

Office Stamp:

COLUMN-II

(Forms as hereby substituted)

3. Complete address of the branch/unit where the actual scheme is being implemented ....

4. Please select one,–

(a) Institution registered is an under the Societies Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860)......

(b) Is a public trust registered under any law for the time being in force.........

(c) Is a company registered under the Companies Act, 2013.........

(d) Indian Red Cross Society or its branch........

(e) A Government University or a private University notified by the Government........

(f) Any other organisation (details of registration with name of the Act under which it is registered) recognised by the Government for the purpose of the Scheme.......

5. Date of establishment of the institution/society.........

6. Society/Trust/Company Registration Number...............Date...........

6.2 (Copy of Registration Certificate to be uploaded).

7. Nature of institution for persons with disabilities (Any educational institution or training or workshop for persons with visual impairment, deaf and dumb, physically challenged or mentally challenged *etc.*) ....

8. Is this an all-India organization? If so, State the nature of its all-India activities ....

9. E-Challan No.................. of Rs.1000/- (Rupees One Thousand only) deposited online in the Treasury, dated ....

It is certified that all information/details provided in this application are true and based on the original documents and nothing has been concealed. If any information is found to be false, appropriate punitive action may be taken against the applicant, including the revocation of the registration certificate.

Enclosures: As required

Date:

(Signature of applicant)

Name.........................

Designation................

COLUMN-I *(Existing Form)*	COLUMN-II *(Forms as hereby substituted)*
	Enclosure for online application for registration

Sl. no.	Enclosure record
1	The prescribed fee of Rs. 1000/- for registration of attachment documents will be deposited online in the prescribed item and uploaded along with the e-challan application.
2	The registration certificate, memorandum, rules and regulations of the organization and the copy of the managing committee attested by the Registrar of Societies or other office authorized for registration will be signed with seal by the authorized officer of the organization and uploaded online.
3	Declaration by the authorized Person of the organization on Rs.10/- stamp, in the format prescribed in Annexure-1.
4	The authorized Person of the organization will prepare an action plan regarding the activities related to the rehabilitation of the disabled and will upload it online along with the application.
5	The certificate related to financial resources for running the organization will be uploaded online along with the application by the authorized Person of the organization.
6	Records related to the building (private/rented) of the registered office of the organization will be uploaded online along with the application.
7	Records related to the ID/address of the key officials of the organization will be uploaded online along with the application.
8	The total number of professionals employed in the organization and their details along with their qualifications.

COLUMN-I *(Existing Form)*	COLUMN-II *(Forms as hereby substituted)*

Format No. B

(Online Application Form for Renewal of Registration Certificate)

[*See* Renewal Guidelines under Chapter (5) of the Uttar Pradesh Disability Rights Rules, 2017]

Number-

District

What type of disability is the organization working in after registration with the department-

E-mail-

1- (a) Name of the authorised Person- ....

(b) Name of father/husband/guardian- ....

(c) Resident (Address).............................

(d) Name of the institution ....

(e) Complete address of the registered office of the institution ....

(f) Telephone/Mobile Number ....

(g) Society/Trust/Company Registration Number .... Date ....

(h) Registration certificate number under the Department of Empowerment of Persons with Disabilities .... Date ....

(i) I hereby apply for renewal of the certificate granted under Chapter (5) of the Uttar Pradesh Disability Rights Rules, 2017, which was issued for working in the field of disability. This certificate is/was valid till date ....

2- E-Challan number .... of the fee deposited online in the treasury for the amount of Rs. 500/ Dated ....

(In case of application after the specified period, the prescribed late fee will be deposited in addition to the said application fee.)

It is hereby declared that the institution will abide by all the terms and conditions mentioned in the Bye-Laws and if any of the above facts are found to be false at any stage, the registration certificate will be revoked.

Date:

(Signature of applicant)

Name ....

Designation ....

COLUMN-I *(Existing Form)*	COLUMN-II *(Forms as hereby substituted)*

Enclosure for online application for renewal of registration certificate

Sl. no.	enclosure record
1	The prescribed renewal fee of ₹500 will be deposited online under the prescribed head and an e-challan will be uploaded with the application. If the application is submitted late, an e-challan will be uploaded after depositing the late fee in addition to the prescribed application fee.
2	The registration certificate, memorandum, rules and regulations of the organization and the copy of the managing committee attested by the Registrar of Societies or other office authorized for registration will be signed with seal by the authorized officer of the organization and uploaded online.
3	A valid copy of the registration certificate issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities will be uploaded after signing it with seal by the authorized officer of the institution.
4	The audit report of the Chartered Accountant along with the income and expenditure of the grants/donations received in the last three years prior to the date of application, balance sheet, income expenditure and receipt payment sheet signed with seal by the Chartered Accountant and the authorized officer of the organization will be uploaded.
5	The details of the professionals employed in the institution for the rehabilitation activities of the disabled will be uploaded after signing with seal by the authorized officer of the institution.
6	The progress report of activities related to work in the field of rehabilitation of disabled persons in the last three years will be uploaded after signing it with seal by the authorized officer of the organization.
7	Declaration in the format prescribed in Annexure-1 by the authorized officer of the organization on a stamp of Rs.10/-.

COLUMN-I

(Existing Form)

COLUMN-II

(Forms as hereby substituted)

Registration Certificate

(Form C)

Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Uttar Pradesh

(Approved under Chapter-5 of the Uttar Pradesh Disability Rights Rules, 2017)

Certificate number ....

Date ....

It is certified that .... (Name of the organization), registered under the Societies Registration Act, 1860/ Companies Act 2013/ with Certificate of Registration No .... Date .... is registered by or is a registered public trust or is a branch of the Indian Red Cross Society or Is a Government/Government notified private university, which fulfils the requirements of registration as mentioned in these rules. In exercise of the powers conferred by the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and also by these rules, a certificate of registration is hereby issued to the above institution. This certificate is dated .... it will remain valid till.

1. Full name and address of the registered office of the organization ....
2. Full name and address of the branches/units of the organization ....
3. Full name and address of the Secretary/Manager of the organization ....

This registration certificate is dated .... is being signed.

Competent Authority
Department of Empowerment of Persons with Disabilities,
Uttar Pradesh.

124 RPH -2026 (Divyangjan Avam Sasktikaran) data 1e

COLUMN-I
(Existing Form)

COLUMN-II
(Forms as hereby substituted)

Renewal of Registration Certificate (Form-D)

Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Uttar Pradesh

(Approved under Chapter-5 of the Uttar Pradesh Disability Rights Rules, 2017)

Certificate Number ....

Date ....

It is certified that .... (Name of the institution) .... (Address of the registered office) .... was registered with the Department of Empowerment of Persons with Disabilities *vide* Disability Certificate No. .... dated .... The validity of the registration certificate is about to expire on ....

It is hereby certified that the above mentioned registration certificate is being renewed for a further period of five years and will remain valid till ....

This renewal certificate is being signed on ....

Competent Authority
Department of
Empowerment of Persons
with Disabilities,
Uttar Pradesh

Annexure-1

Declaration

It is certified that .... (Name of the organization with registered address) has not been blacklisted by the Government of India or any State Government, nor has any of its office bearers, including the President, Secretary, Chief Executive Officer (by whatever name called), or Treasurer, previously held the position of an office bearer of any organization blacklisted by the Government of India or any State Government.

124 RPH -2026 (Divyangjan Avam Sasktikaran) data 1e

COLUMN-I *(Existing Form)*	COLUMN-II *(Forms as hereby substituted)*
	It is also certified that there is no dispute of any kind within the organization or among the office bearers/managers of the organization.

Signature of the President	Signature of the Secretary	Signature of the Treasurer

Date:

Seal of the Institution:

By order,
RAJESH KUMAR SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 124 राजपत्र—2026—(853)—599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 1 सा0 दिव्यांगजन सशक्तीकरण—2026—(254)—50+50=100 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

124 RPH -2026 (Divyangjan Avam Sasktikaran) data 1e